

2205/05



भोले शंकर शर्मा

8400 070397



भोजप

DIRECTOR

किताबत खेत-

किताबत ।

खरीदकीमत -

6, 90, 000/-रुपया ।

सरकारी माफियात-

9, 40, 000/-रुपया ।

जमीन की सर्विस रेट-

30, 00, 000/-रुपया प्रतिहेक्टेयर ।

रहाम-

60, 000/-रुपया ।

विद्युत आरक्षी बरगाने पर खेतीहो रही है तथा सरकारी अधिकारों में भी
कोई हाना नुक है तथा विद्युत आरक्षी लंब है 30 मीटरसे काफी अधिक
की दूरी पर स्थित है तथा 200 मीटर की परिधि में भी खेती की जा रही है
तथा विद्युत आरक्षी में कोई पेड़ व बोरे व आवासीय व कार्यालय नहीं है
तथा अधिकतर अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है।

For Vision Niram

DIRECTOR



-2-

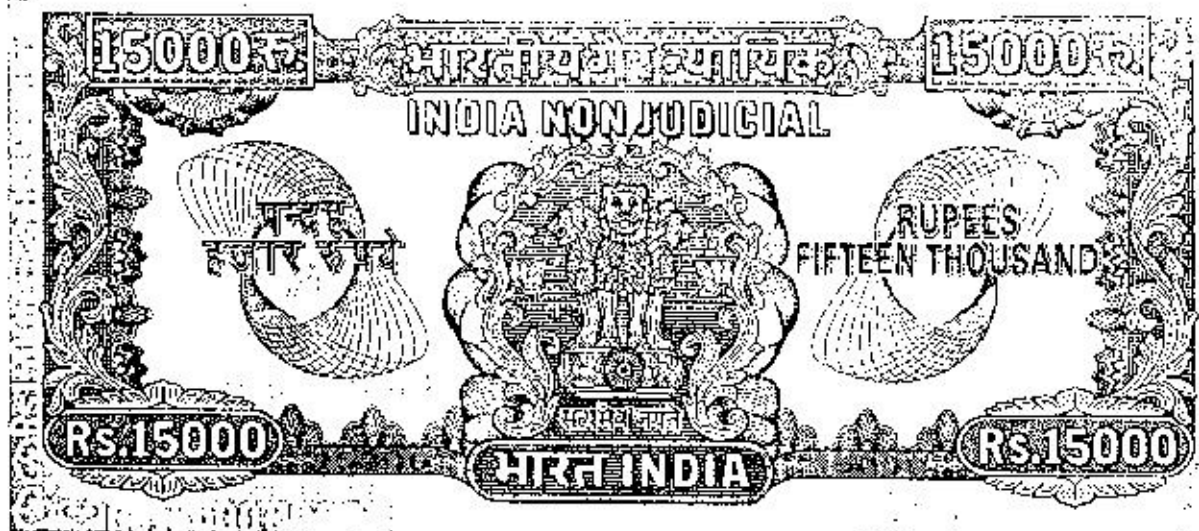
04DD 070396

हम कि नरेशा पुत्र श्री अगवर सिंह निवासी ग्राम बरौली अलीर तहसील व
जिला आगरा ----- विद्वेतापुथम पथ ।

एवम

विद्वन निर्माण प्रमाणित रजिस्टर्ड आफिस : अंशुम प्लानका प्रथम इलाका
नम्बर 50, क्षेत्र प्लेस आगरा निबन्धन प्रमाण पत्र संख्या नं. -45201 दू.पी.
2005 पी.टी.सी. 02995। दिनांक 03-05-2005 द्वारा विद्वेता श्री हन्तर
धन्त जैन पुत्र सधु जी जौनपुर धन्त जैन निवासी सी 0-47 कमला नगर ग्राह
आगरा----- विद्वेतापुथम पथ।

हो कि एक किला आगरा की जाने मौजावरौली अलीर तहसील व
जिला आगरा खाता संख्या 210 यस्मा क्षेत्रा 966 रकबा 0.1797 हे०
लगानी 5.00 रुपया शस्यानु ह मुतादिक खेती 1409 लगान 1413
पक्षी की तथः प्रतिनिधि दिनांक 22-03-2005 के अनुसार मैं विद्वेता
प्रथम पक्ष पूर्ण रूप से तहसील क्षेत्री हक संवर्णीय भूमि पर गालिफ का किल
व दखीलबला आता है (अंगरेजी की नाम कागजात परकारी) देहा में तहसील
स्वामी के दर्ज है इस प्रकार के विद्वेता प्रथम पक्ष उपरोक्त आगरा की नम्बरी
गज्जर कुल के अपने कागजात का किल व दखील हूँ और निताम प्रथम पक्ष के
अन्य कोई हकदार व विद्वेता जिली प्रकार का उपरोक्त आगरा की मज्जर
में नहीं है किन्तु माने किन्तु तरह के हकदार मज्जर का होवे और उपरोक्त



-3-

02BB 523769

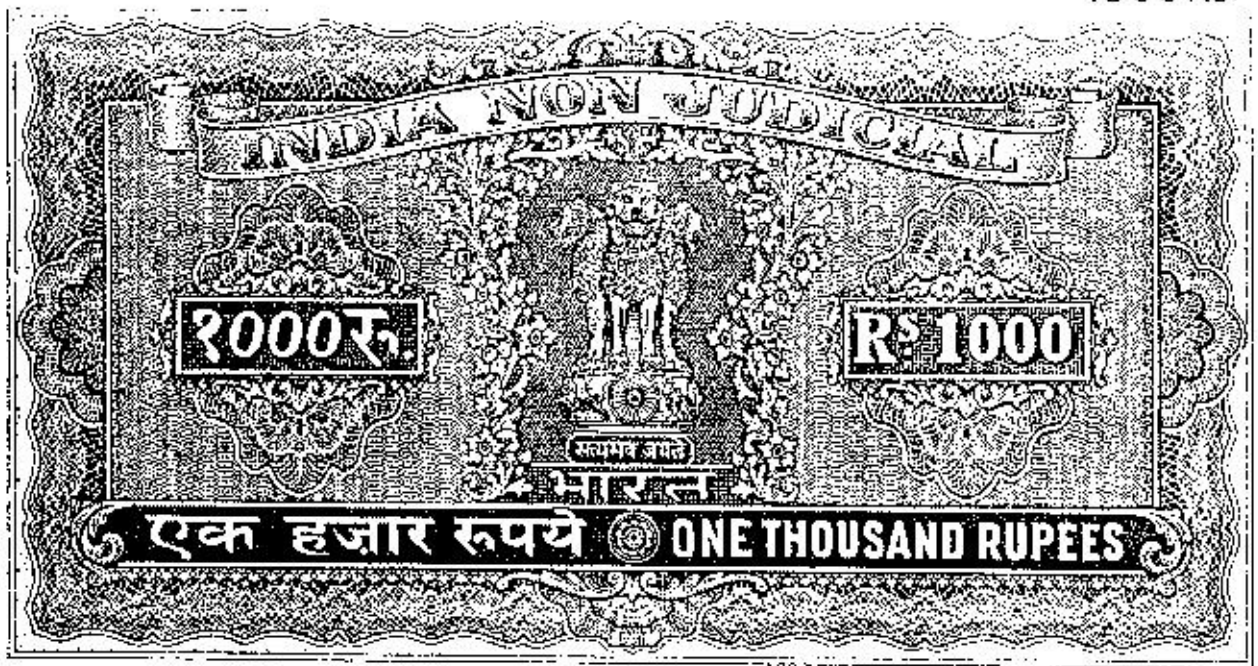
उपरोक्त आराजी नम्बरी भण्डार आज तक हरप्रकार के दावे व झगड़े व रहन व विद्रोह व विवे व गुआरिडिटा दैय व रक्कूजीमान व रक्कूटेधिलमोरगेज व जमानत धककी व नासिवाव नीलाग व सगस्तप्रकार की देनदारियों एका निम्मेदारियों कौरा से कटई मुक्त व स्वच्छ है। और नकिसी व्यक्तिके एक में गुन विद्रोहा प्रथम पक्ष ने अपनी उपरोक्त आराजी का कोई हजरारनामा निष्पादित किया है। अगर बाद तकमीलबैनगमाइजा जिलाफ हकके कुछ बाहिर या साविह होते तो ग विद्रोहा प्रथम पक्ष जुमदा नतासजकानूनी का निम्मेदार होऊंगा। अब गुन विद्रोहा प्रथम पक्ष को आराजी नम्बरी भण्डार कुन का विद्रोह करना वास्ते जरत अपने व मिलने नाबूलत सगस्तिक जीमत के स्वीकार है और खरीदार द्वितीय पक्ष उपरोक्त आराजी की एक माकून व सगस्तिक जीमत अदा कर कृप करते को सगमानत है जिले सरार लायता है।

लिहाजा विद्रोहा प्रथम पक्ष ने अपनी राजी व कुपिसे धुन सोन कथणकर विनासहकाये व सिवाये, लुकिना दवाव जिली नाजायज के स्वस्थ रिता मन बुद्धि व इन्टिज के आराजी खराबेका 966 रकता 0.1797 हे० कुन को पिता छोडे किती आंदाव इंतव कक के म्म सुवदार्जिन के व सवज सुवदार्जिन 6,80,000/- है। लाख अस्सी हजाररपता कि आंदाव जिले सुवदार्जिन 3,40,000/- तीन लाख चालीस हजाररपता होते है में बरत- विद्रोह विमार्ग 510 रि० रविस्टर्ड अरविस्टर्ड अनुम पलायप्रथम ब्लाक नम्बर 50, जेज प्लेसआगरा निवेन्त प्रममम पक्ष संख्या घू.-45201 घू.पी.-2005 पी.टी.सी.029951 दिनांक 03-05-2005 द्वारा विद्रोहा जी इन्तर बन्द उन पुन रता 51 कैलाहा,

For Vikram Nirman (P) Ltd

DIRECTOR

1000Rs.



6421



चान्त जैन निवासी सी०-५७ कल्ला नगर बाहर आगरा जिला स्थित
उक्त को विप्रेय कलह किया और वेद दिया और कीमत का कुल धन मुकदमा
6,80,000/- है: लाख अस्सी हजार रुपये मुकदमे का प्रथम पक्ष ने छरीदार
द्वितीय पक्ष से वसूलियो तो किया है कि जो पैस आप वसूलता पाओ संख्या
पलेस आगरा के है के अधिक मुकदमा होने के पश्चात प्राप्त कर लियो और
उपरोक्त पैस कि रिक्का रिक्का नीचे दिया गया है के अधिक मुकदमा
होने के पश्चात जेता द्वितीय पक्ष से मुकदमा वापसी नहीं रहा और न
आगंदाहोगा।

सीक संख्या	दिनांक	अंतराणि स्वयं में
368360	01-06-2005	1,60,000/- स्वयं ।
368362	01-06-2006	5,20,000/- स्वयं ।

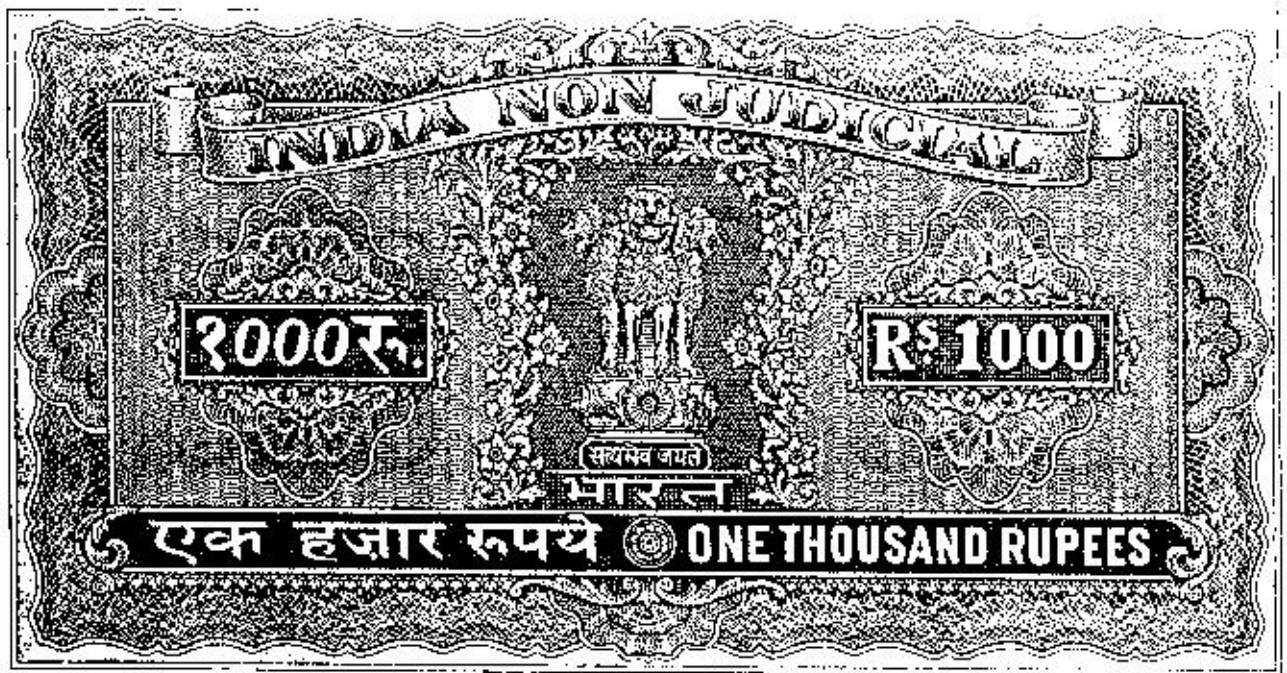
कुल योग है: लाख अस्सी हजार रु. 6,80,000/- स्वयं ।
निहाय कल्ला रु. 6,80,000 आरानी मुकदमा द्वितीय कल्ला रु. 6,80,000 ने वसूलियो
पूर्ण रूपेण स्वयं ही है छरीदार द्वितीय पक्ष का करा दिया और कलह
नालिक मुकदमा द्वितीय पक्ष से वसूलियो वसूलियो अखरीदार को हक व अधिकार
है कि वह आरानी द्वितीय कुल से वसूलियो पूर्ण रूपेण स्वयं ही के चाहे ऐसे

२००५

For Vikram Mishra (P) Ltd.

DIRECTOR

6420



-5-



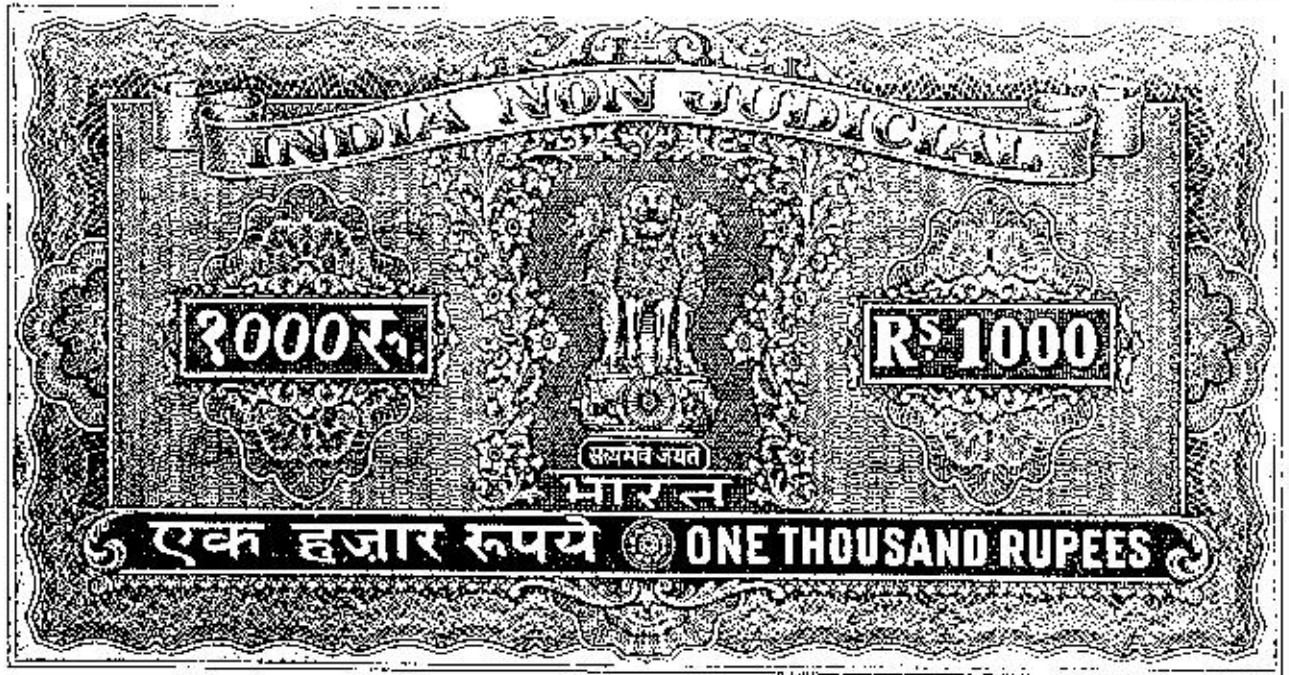
फायदा उठावे रहन व विक्रय हिवै व मुआहिदा कै आदि जो चाहे सो करे तथा खरीदार द्वितीयपक्ष अपने नाम का नामांकन कागजात सरकारी देहा में बाजाबजा जरिये बैनामा दाखल दर्ज कराते व लगान सान व शाल दाखिल खानना सरकार करें। अब मूल विक्रेता प्रथम पक्ष का उपरोक्त आराजी नमूदरी मज्दूर में कोई और पक्ष व अधिकार व स्वत्व शेष नही रहना और ना आयेगा होगा।

अगर भविष्य में कोई व्यक्ति कौमी या खानदानी कानूनी या धर्म क खाली या कोई हीनर किराजतदारद्वितीय प्रकारका नैदा होकरदादा व बगडा खरीदार द्वितीयपक्ष से करे फाउली रदाभितव व अधिकारत लब्ध में बागडोले या व दजह दावेदारी या किसी हीनरकतव से कटजा जुज व हुत खरीदार से मिल जाये या बैनामा दाखल में कोई कानूनी कमी पाये जाये तो ऐसी तमाम शूरतों में उस हुत की जवाबदेही व जिम्मेदारी व अदावती जर नस मज्दूर मय हर्ज व खर्चा के जिम्मे जात होत फायदादमनकूला खोरमनकूला हरकिस्म विक्रेता व खारितान विक्रेता की है और आयेगा होगी।

आराजी विहीत नकूल व राजकीयकास्थान की सम्पत्ति नहीं है जिसको किसीवाद में अतिरिक्त रिफ्त भूमि घोषित नहीं की है और न इसका कोई मुआहिदा आदि प्राप्त किया है।

For Verification (F) Col.

SIRKAR



6416

-6-

चिह्नित कृषी भूमिका विवरण निम्नलिखित है-

- 1- गांठा संख्या - कृषिहीन गांठा संख्या 966 है जहाँ गाँजा बरौली
अधीन तहसील व जिला आगरा ।
- 2- क्षेत्रफल - 0.1797 हे०।
- 3- भू राजस्व - 5.00 रुपया सालाना ।
- 4- चिह्नित भूमि दो फसली है।

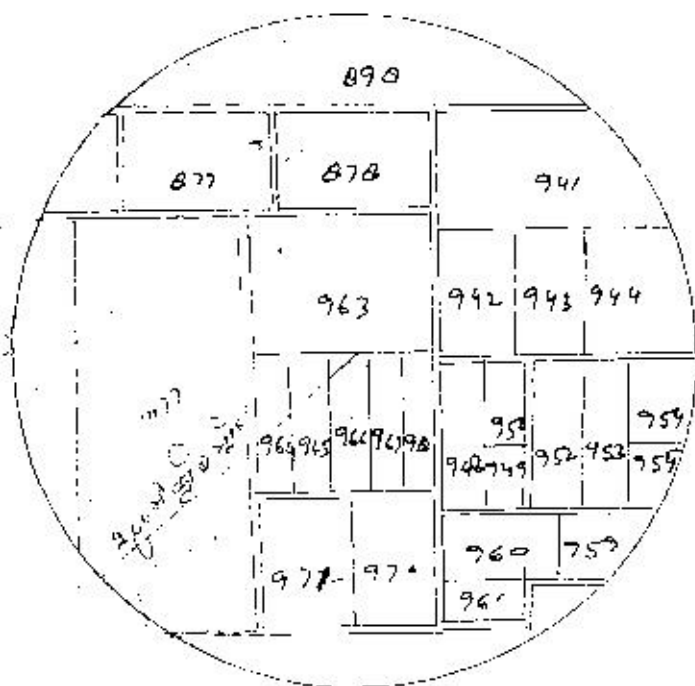
आरक्षी चिह्नित की रिलायबिकारी आगरा द्वारा निर्धारित दर
30,00,000/- रुपया प्रति हेक्टेयर से 5,40,000/- रुपया तक है लेकिन
आरक्षी की 6,80,000/- रुपया में चिह्नित किया गया है। अतः चिह्नित
कीमत पर 68,000/- रुपया का स्थाय्य अला किला गया है जिससे राज्य
का सरकारी लाभ है।

For Vision Narayan (P) Ltd.

DIRECTOR

नरेश जी की हकीकत के अनुसार सन् १९६८
 नरेश जी की जमीनी भाग में लक्ष्मीनारायण जी की भाग में
 निम्नलिखित पुत्र वंशजों के हैं
 कुल: विजय निम्नलिखित पुत्रों में भाग में

सन् १९९७ ईस्वी



नरेश

[Handwritten signature]

WITNESSED BY
[Handwritten signature]

Chandra Agrowala
 DRAFT MAN
 NAUBASTA AGRA